5084
26/11/21

ई–रवन्ना पोर्टल का अपग्रेडेशन किये जाने के संबंध में विचार–विमर्श किये जाने हेतु सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.11.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील पंवार, संयुक्त निदेशक/मुख्य खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. श्री आनन्द जोशी, ई एण्ड वाई एजेन्सी।
3. श्री मनोज शर्मा, ई एण्ड वाई एजेन्सी।

JD(W)/I.T.cell

बैठक में संयुक्त निदेशक/मुख्य खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में खनिज संबंधी गतिविधियों को ई–पोर्टल के माध्यम से नियंत्रित किये जाने हेतु प्रस्तावित क्रियाकलापों के सफल संचालन हेतु एन०आई०सी० के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है तथा ई–ट्रांजिट पॉस का पोर्टल एन०आई०सी० द्वारा विकसित किया गया है, जिसे एन०आई०सी० द्वारा बताई गयी समयावधि एवं इस संबंध में विभागीय कार्य की तात्कालिकता के दृष्टिगत ई–रवन्ना पोर्टल का अपग्रेडेशन किये जाने के संबंध में E & Y एजेन्सी से सम्पर्क स्थापित किया गया।

2– श्री सौरभ तानीवाल, E & Y एजेन्सी द्वारा ई–मेल दिनांक 13.10.2021 के द्वारा ई–रवन्ना पोर्टल अपग्रेडेशन के संबंध में प्रस्ताव तथा Quotation (UK_Mining_Tentative_Module_List) की प्रति उपलब्ध कराते हुए कार्य की समय–सीमा (Delivery Timeline) तथा Rates/Charges (The rated of Remuneration of the resources would be same as applicable in the ongoing EODB+SWCS Engagement at Directorate of Industries) का उल्लेख किया गया है। बैठक में संयुक्त निदेशक/मुख्य खान अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि E & Y एजेन्सी ई–रवन्ना पोर्टल का अपग्रेडेशन किये जाने हेतु विभागीय आवश्यकताओं को पूण कर रहे हैं।

3– श्री आनन्द जोशी, E & Y एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि E & Y एजेन्सी द्वारा विभागीय पोर्टल हेतु 28 सेवाएं ऑनलाईन प्रदान की जायेंगी एवं कोषागार, परिवहन विभाग तथा सीमावर्ती राज्यों के पोर्टल के साथ Integration प्रस्तावित है। विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल का कार्य 03 चरणों में पूर्ण किया जायेगा, जिसकी समय–सीमा क्रमशः 03 माह, 10 माह एवं 12 माह होगी। बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल का कार्य E & Y एजेन्सी से कराये जाने तथा उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा Ease of Doing Business एवं Single Window प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित वर्तमान प्रचलित दरों पर कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी तथा उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में E & Y एजेन्सी के प्रतिनिधियों को निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

4– उक्त के अतिरिक्त बैठक में वर्तमान में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की 06 ऑनलाईन सेवाएं, जो कि सिंगल विन्डो के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, का प्रस्तुतीकरण E & Y एजेन्सी के द्वारा माह दिसम्बर, 2021 के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

आर० मीनाक्षी सुन्दरम
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या– 1994 / VII-A-1 / 2021 / 2 विविध / 17
देहरादून,दिनांकः 25 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. E & Y एजेन्सी, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव